धारा 6–ए प्रकरण सं0 88/2017 अनवान 1–विनोद कुमार पुत्र श्री लूणाराम जाति कुम्हार निवासी किकरवाली पुलिस थाना मुकलावा तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर 2–बनीता पत्नि स्व0 श्री रामकुमार पुत्र श्री जगदीश चन्द्र जाति कुम्हार निवासी कीकरवाली तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर बनाम जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

20.02.2018

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण विनोदकुमार व बनीता के अभिभाषक श्री आनन्द व्यास एवं विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित है। जिला रसद अधिकारी का प्रतिवेदन संख्या 3308 दिनांक 07.02.18 जो दिनांक 14.02.18 को प्राप्त हुआ है, शामिल पत्रावली किया गया। दोनो पक्षो की बहस दिनांक 29.01.2018 को सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थीगण विनोदकुमार व बनीता के अभिभाषक श्री आनन्द व्यास का कथन था कि प्रार्थी विनोद कुमार के विरूद्ध पुलिस थाना चुनावढ़ में दिनांक 23.09.2009 को एक एफआईआर संख्या 155/2009 अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज हुई थी और उक्त प्रकरण में दिनांक 23.09.2009 को एक ट्रेक्टर नम्बर आरजे 13 आईआर 7449 मय ट्राली में 1600 लीटर डीजल अवैद्य भरा होने के कारण जब्त किया जाकर श्रीमानजी के न्यायालय में धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण सं0 319/2009 सरकार बनाम विनोद कुमार–व वाहन स्वामी रामकुमार के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया जिसमें दिनांक 21.10.2010 के आदेश के द्वारा उक्त जब्त शुदा 1600 लीटर डीजल एवं वाहन स्वामी रामकुमार का आयशर टेक्टर न0 आरजे 13 आईआर 7449 मय ट्राली को राजसात किये जाने के आदेश दिये गये और उक्त राजसात किये गये ट्रेक्टर एवं ट्राली की एवज में 1,20,000/–रूपये जुर्माना उस पर आरोपित किया गया।

उनका आगे कथन था कि धारा 6ए के इसी प्रकरण में जिला कलक्टर महोदय के आदेश दिनांक 17.10.2011 के द्वारा 3.25 लाख रूपये की बैंक गारन्टी एवं स्वयं का सुपुर्दगीनामा पेश करने पर वाहन सुपुर्दगी पर दिये जाने का आदेश दिया गया था जिसके विरूद्ध माननीय जिला एवं सैशन न्यायालय श्रीगंगानगर में फौजदारी प्रकरण प्रस्तुत किये जाने पर माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 02.12.11 के द्वारा इस न्यायालय का निर्णय 17.10.11 अपास्त कर दिया गया और न्यायालय द्वारा 3.25 लाख के सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा पर वाहन दिये जाने का आदेश दिया गया था जिसकी पालना में ट्रेक्टर एवं ट्रोली पूर्व में ही जमानत पर प्राप्त किया हुआ है।

उनका आगे कथन था कि प्रार्थी विनोद कुमार के विरूद्ध दर्ज एफआईआर संख्या 155/2009 अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का चालान पुलिस द्वारा मुख्य न्यायिक मजि0, श्रीगंगानगर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जो अपराधिक प्रकरण संख्या 68/2010 सरकार बनाम विनोदकुमार के रूप में दर्ज होकर दिनांक 08.09.2016 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी विनोदकुमार को धारा 3/7 आवश्यक अधिनियम के अपराध से उन्मोचित किया गया है। चूंकि प्रार्थी विनोद कुमार धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के उक्त प्रकरण में दोष मुक्त हो चुका है इसलिए उससे जब्त शुदा 1600 लीटर डीजल या डीजल की विकय राशि लौटाने के आदेश प्रदान किये जावे।

जिला कलेक्टर

इसके विपरीत विभागीय प्रतिनिधि का कथन था कि धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रकरण संख्या 319/2009 निर्णय दिनांक 21.10.2010 के द्वारा जब्त शुदा 1600 लीटर डीजल एवं वाहन आयशर ट्रेक्टर न0 आरजे 13 आईआर 7449 को राजसात करने का आदेश दिया गया था और राजसात किये गये उक्त वाहन ट्रेक्टर एवं ट्राली की एवज में 1,20,000/–रूपये जुर्माना अधिरोपित किया गया था एवं प्रार्थी विनोद कुमार के विरूद्ध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण मुख्य न्यायिक मजि0 श्रीगंगानगर के न्यायालय में पेश किया गया था जिसमें प्रार्थी विनोद कुमार आदेश दिनांक 08.09.2016 के द्वारा उन्मोचित किया जा चुका है और इस आदेश के विरूद्ध आगे कोई अपील प्रस्तुत नही की गई है। धारा 6ए के प्रकरण में राजसात किया गया ट्रेक्टर मय ट्राली पूर्व में ही माननीय जिला एवं सैशन न्यायाधीश के आदेश की पालना में जमानत पर दिया हुआ है। धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रकरण में मुख्य पक्षकार रामकुमार ही है और रामकुमार द्वारा धारा 6ए के प्रकरण में प्रस्तुत डीजल बिल संख्या 2060, 2061, 2062, 2063 दिनांक 23.09.2009 के अनुसार रामकुमार, चरणजीत सिंह, सुलेन्द्र, महेन्द्र सिंह प्रत्येक का 400–400 लीटर डीजल है। इस प्रकार बिल संख्या 2060 दिनांक 23.09.2009 के अनुसार पक्षकार रामकुमार का 400 लीटर डीजल ही है शेष 1200 लीटर डीजल में से चरणजीत सिंह, सुलेन्द्र, महेन्द्र सिंह का 400–400 लीटर डीजल है। इसलिए बनीता पत्नि रामकुमार बतौर वारिस रामकुमार के उसका 400 लीटर डीजल वापिस लौटाने में कोई आपत्ति नही है और शेष डीजल उन्हे नही दिया जा सकता।

मैने दोनो पक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थीगण विनोद कुमार व बनीता ने दिनांक 18.09.17 को एक प्रा0 पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि प्रार्थी विनोद कुमार, मुख्य न्यायिक मजि0 श्रीगंगानगर के न्यायालय में अपराधिक प्रकरण संख्या 68/2010 सरकार बनाम विनोदकुमार धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में आदेश दिनांक 08.09.2016 के द्वारा उन्मोचित हो चुका है। इसलिए धारा 6ए के प्रकरण संख्या 319/2009 सरकार बनाम विनोदकुमार में जब्त शुदा 1600 लीटर डीजल या उसकी विक्रय राशि प्रार्थीगण को वापिस लौटाई जावे।

उक्त प्रार्थना के संबंध में मैने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6क(3)(ग) का अवलोकन किया, जिसमें निम्न प्रावधान है:–

> **6क(3)(ग)–जहां ऐसे आदेश के उल्लंघन के लिए, जिसके संबंध में इस धारा के अधीन अधिग्रहण का आदेश किया गया है संस्थित किसी अभियोजन में संबंधित व्यक्ति दोषमुक्त कर दिया जाता है।**
>
> **वहां उसके स्वामी या उस व्यक्ति को, जिससे उसका अभिग्रहण किया गया है, संदत किए जाएंगें।**

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि धारा 6ए के प्रकरण संख्या 62319/2009 सरकार बनाम विनोदकुमार–रामकुमार में पारित निर्णय दिनांक 21.10.2010 के अनुसार 1600 लीटर डीजल एवं वाहन आयशर ट्रेक्टर न0 आरजे 13 आईआर 7449 मय ट्राली राजसात करने के आदेश दिये गये थे

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

और उक्त वाहन ट्रेक्टर ट्राली की एवज में 1,20,000/–रूपये जुर्माना आरोपित किया गया था और राजसात किये गये उक्त वाहन को 3.25 लाख रूपये की बैंक गारन्टी की प्रतिभूति व इसी राशि के स्वयं के मुचलका प्रस्तुत करने पर दिये जाने का दिनांक 17.10.11 को आदेश दिया गया। वाहन स्वामी रामकुमार द्वारा जिला एवं सैशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर के न्यायालय में अपील संख्या 194/2011 करने पर उक्त अपील में जिला एवं सैशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.12.11 की पालना में वाहन स्वामी रामकुमार द्वारा 3.25 लाख रूपये के सुपुर्दगीनामा और इस राशि की प्रतिभू/जमानत पर ट्रेक्टर–ट्राली सुपुर्दगी पर लिया जा चुका है। जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर के प्रतिवेदन संख्या 3308 दिनांक 07.02.18 के अनुसार माननीय जिला एवं सैशन न्यायालय श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 02.12.11 की पालना में पुलिस द्वारा ट्रेक्टर–ट्राली जमानत पर छोड़ी जा चुकी है। जब्त शुदा 1600 लीटर डीजल में वाहन स्वामी रामकुमार स्वयं का 400 लीटर डीजल तथा शेष 1200 लीटर डीजल में से सुलेन्द्र, चरणजीतसिंह व महेन्द्रसिंह प्रत्येक का 400–400 लीटर डीजल है। इसलिए बनीता पत्नि रामकुमार को केवल उनका 400 लीटर डीजल वापिस लौटाने में विभाग को कोई आपत्ति नही है शेष डीजल उसे नही दिया जा सकता। धारा 6ए के प्रकरण में रामकुमार द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत डीजल बिल संख्या 2060, 2061, 2062, 2063 दिनांक 23.09.2009 के अनुसार रामकुमार, चरणजीत सिंह, सुलेन्द्र, महेन्द्र सिंह प्रत्येक का 400–400 लीटर डीजल है। इस प्रकार बिल संख्या 2060 दिनांक 23.09.2009 के अनुसार प्रार्थी रामकुमार का 400 लीटर डीजल ही है शेष 1200 लीटर डीजल में से चरणजीत सिंह, सुलेन्द्र, महेन्द्र सिंह का 400–400 लीटर डीजल है। इसलिए रामकुमार की मृत्यु पर उसकी पत्नि बतौर वारिस 400 लीटर डीजल ही वापिस प्राप्त कर सकती है।

धारा 6क(3)(ग) के उक्त कानूनी प्रावधानो के तहत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अपराधिक प्रकरण में दोष मुक्ति पर धारा 6ए के प्रकरण में राजसात किये गये वाहन व वस्तु को उसके स्वामी या उस व्यक्ति को जिससे जब्त किया गया है को वापिस लौटाया जा सकता है।

चूंकि धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अपराधिक प्रकरण संख्या 68/2010 सरकार बनाम विनोदकुमार में आदेश दिनांक 08.09.2016 के द्वारा विनोदकुमार दोष मुक्त हो चुका है और धारा 6ए के प्रकरण में राजसात किये गये 1600 लीटर डीजल में वाहन स्वामी रामकुमार का 400 लीटर डीजल उसके प्रार्थना पत्र एवं बिल संख्या 2060 दिनांक 23.09.09 के अनुसार उसके स्वामित्व का है और राजसात किये गये वाहन आयशर ट्रेक्टर संख्यार आरजे 13 आईआर 7449 का स्वामी है और उक्त राजसात किया गया ट्रेक्टर ट्राली पूर्व में ही उसके द्वारा जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 02.12.11 पालना में जमानत पर प्राप्त किया हुआ है। चूंकि जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर के प्रतिवेदन संख्या 3308 दिनांक 07.02.18 के अनुसार धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के निर्णय

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

के विरूद्ध विभाग द्वारा अपील नही करने का निर्णय लिया जा चुका है। **इसलिए विनोदकुमार अकेले के विरूद्ध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रकरण में दोष मुक्ति के परिणाम स्वरूप वाहन स्वामी रामकुमार के स्वामित्व का 400 लीटर डीजल रामकुमार की दिनांक 14.03.2016 को मृत्यु होने के फलस्वरूप उसकी पत्नि बनीती पत्नि स्व0 रामकुमार प्राप्त करने की हकदार है** और शेष डीजल उक्त बिलो के अनुसार बिल संख्या 2061, 2062, 2063 दिनांक 23.09.2009 के अनुसार चरणजीत सिंह, सुलेन्द्र, महेन्द्र सिंह प्रत्येक का 400–400 लीटर डीजल का है **और इनके स्वामीयों द्वारा अभी डीजल वापिस प्राप्त करने के लिए कोई प्रार्थना पत्र पेश नही किया गया है इसलिए शेष रहे उक्त डीजल के स्वामियों द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर ही उन पर नियमानुसार विचार किया जावेगा।**

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 18.09.2017 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रकरण संख्या 68/2010 सरकार बनाम विनोदकुमार में पारित आदेश दिनांक 08.09.2016 से दोष मुक्ति के परिणाम स्वरूप धारा 6ए के प्रकरण संख्या 319/2009 सरकार बनाम विनोदकुमार–रामकुमार में पारित निर्णय दिनांक 21.10.2010 द्वारा राजसात किये गये 1600 लीटर डीजल में से वाहन स्वामी रामकुमार के **स्वामित्व का 400 लीटर डीजल या उसके विक्रय की दशा में उसकी राशि रामकुमार की मृत्यु होने के परिणाम स्वरूप उसकी पत्नि बनीता को नियमानुसार वापिस लौटाने के आदेश दिये जाते है।** आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। अभिलेखागार में जमा शुदा धारा 6ए की पत्रावली संख्या 319/2009 आदेश की प्रति सहित वापिस लौटाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर